

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017—कार्तिक 4, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(अ)	आशय-पत्र जारी करना					
20.13	वित्तीय सुविधा/ सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार).	प्रबंधक (फिस्कल इन्सैंटिव).	03 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (फिस्कल इन्सैंटिव).	07 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक एम. पी. ट्रायफेक.

(ब) प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.14 वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस.	निवेश संवर्द्धन पर मंत्री परिषद समिति (सी सी आई सी).	
20.15 वेट/जीएसटी अन्तर्गत वितरण (दिनांक 01-07-2017 से जीएसटी प्रणाली अंतर्गत प्रतिपूर्ति).	एम. पी. ट्रायफेक का संचालक मंडल.	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	60 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).	
20.16 वृहद श्रेणी की टेक्सटाईल इकाइयों हेतु ब्याज अनुदान.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).	
20.17 अधोसंरचना विकास पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).	
20.18 औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).	
20.19 वृहद श्रेणी इकाइयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकीकरण).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).	

नोट:— क्र. 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर उल्लेखित सहायता हेतु निर्धारित समय-सीमा प्रकरण स्वीकृति के लिये है, किन्तु सहायता राशि वितरण, बजट की उपलब्धता के अधीन होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.